रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)--04/0007/2003--05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 19—मई 25, 2007 (वैशाख 29, 1929)
No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19—MAY 25, 2007 (VAISAKHA 29, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई-400005, दिनांक 22 फरवरी 2007

सं. डीएनबीएस.192/डीजी (वीएल)-2007--भारतीय रिज़र्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर, और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से नीचे दिए गए विवेक पूर्ण मानदण्डों से संबंधित निदेश जारी करना जरूरी है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 ञक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इसकी ओर से प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 31 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं. डीएफसी.119/डीजी (एसपीटी)/98 में दिए गए गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश 1998 का अधिक्रमण करते हुए सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार/धारण करने वाली प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कम्पनी को छोड़कर) तथा प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कम्पनी को इसके पश्चात् निर्दिष्ट निदेश देता है।

संक्षिप्त नाम, निदेशों का प्रारंभ और उनकी प्रयोज्यता

1. (1) इन निदेशों को "गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार या धारण) कम्पनी विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" के नाम से जाना जाएगा।

(2) ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(3) (i) इन निदेशों के प्रावधान, निम्नलिखित पर लागू होंगे--

(क) कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी किसी पारस्परिक हितलाभ वित्तीय कम्पनी [और पारस्परिक हित लाभ कम्पनी] को छोड़कर, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी जनता की जमाराशि स्वीकार्यता (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 में यथापरिभाषित और जनता से/जमाराशियां स्वीकार/धारित करती हों;

(ख) अवशिष्ट गैर-बैंकिग कम्पनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 में यथापरिभाषित कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कम्पनी।

STATE BANK OF INDIA

Mumbai, the 28th April 2007

SBD. No. 1/2007-08.—

It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of Section 25 of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, the State Bank of India has, in consultation with Reserve Bank of India, re-nominated Shri Avtar Singh Dhindsa, J-26, Sarabha Nagar, Ludhiana, as a director on the Board of Directors of State Bank of Patiala from 1st May 2007 to 31st October 2008 (both days inclusive).

(O. P. BHATT)
CHAIRMAN

NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi the 1st May, 2007

No. NHB.HFC.REG-II/CMD/2007- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 29A of the National Housing Bank Act 1987 (53 of 1987) the National Housing Bank, hereby specifies the minimum Net Owned Fund to be two crores of rupees for a housing finance institution which is a company which carries on the business of a housing finance institution on or before March 31, 2008.

S. SRIDHAR
Chairman & Managing Director